सं. 178] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2004/कार्तिक 13, 1926
No. 178] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2004/KARTIKA 13, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 28 अक्तूबर, 2004

सं० टीएएमपी/9/2004-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, कांडला पत्तन न्यास में अपने कन्टेनर फ्रेट स्टेशन पर प्रदत्त सेवाओं के लिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के दरमान में बीमा-सुरक्षा के लिए प्रभार लगाने के बारे में सशर्तता में संलग्न आदेशानुसार संशोधन करता है।

प्रकरण सं० टीएएमपी/9/2004-केपीटी

सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन .... आवेदक

आदेश

(अक्तूबर, 2004 के 21 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) द्वारा कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) स्थित उसके कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) में प्रदत्त सेवाओं के लिए उसका दरमान निर्धारित करते हुए 10 अगस्त, 2004 को एक आदेश पारित किया था। स्वीकृत दरमान के साथ वह आदेश राजपत्र सं. 151 के माध्यम से भारत के राजपत्र में 20 अगस्त, 2004 को अधिसूचित किया गया था।

2. सीडब्ल्यूसी ने उल्लेख किया है कि अध्याय-1 की क्रम संख्या 2 पर बीमा सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रभार स्टॉक के मूल्य के प्रति रु. 1000/- पर 12.50 पैसे प्रति सप्ताह होने चाहिए न कि स्टॉक मूल्य के प्रति 1000 पर रु.12.50 प्रति सप्ताह होना चाहिए।

3.1. इस प्राधिकरण द्वारा इस मद के लिए अनुमोदित दर सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव के अनुसार थी और इस दर के निर्धारण में कोई भी एक पक्षीय निर्णय नहीं लिया गया था।

3.2. तथापि सीडब्ल्यूसी द्वारा सुझाया गया सुधार, बीमा सुरक्षा के लिए दर में कमी के लिए है जिससे उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, अन्यत्र किन्हीं अन्य सीएफएस पर ऐसी ही सेवा के लिए लगाई गई दर के बारे में सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि सीडब्ल्यूसी द्वारा उल्लेख की गई दर (संशोधित), यदि उपयोगकर्ता इस व्यवस्था के लिए इच्छा व्यक्त करें तो, सीएफएस प्रचालकों द्वारा इस प्रकार की बीमा सुरक्षा के लिए प्रचलित बाजार दर है। ऐसा है तो यह प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी का यह अनुरोध मानने के लिए तैयार है।

4.1. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, यह प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी के दरमान में निम्नलिखित संशोधन को अनुमोदन प्रदान करता है :—

अध्याय-1 भूमि किराया और भंडारण प्रभार के अंतर्गत क्रम संख्या 12 में दूसरा पैरा हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाता है :—

''तथापि, यदि किसी पक्ष को अग्नि, बाढ़, तूफान, चोरी इत्यादि के विरुद्ध बीमा सुरक्षा की आवश्यकता हो तो एक लिखित अनुरोध पर इसकी व्यवस्था सीडब्ल्यूसी, सीएफएस, कांडला द्वारा की जाएगी जिसके लिए स्टॉक के मूल्य की प्रति हजार रुपये कीमत पर 12.50 पैसे प्रति सप्ताह या उसके भाग की दर से मूल्य आधारित प्रभार लगाया जाएगा।''

4.2. सीडब्ल्यूसी के दरमान में यह संशोधन, इस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तुरंत लागू हो जाएगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/04-असाधारण]